

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 64/22

तारीख दायर 12-4-22

करण कुमार पुत्र कैलाश चन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमा जी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

- 1- दुर्गालाल पिता रामपाल जाति लुहार, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
- 2- सत्यनारायण पिता मुरलीधर शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
- 3- दिनेश कुमार पिता प्यारचन्द जाति धाकड निवासी उमा जी का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

—आदेश:—

दिनांक

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री करण कुमार धाकड ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील बाकलीवाल प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि ग्राम बिजौलियाँ कलां, पटवार क्षेत्र बिजौलियाँ कलां, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 778 आराजी नंबर 2047/1357 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2050/1358 रकबा 0.0971 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।


प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया ग्राम बिजौलियाँ कलां, पटवार क्षेत्र बिजौलियाँ कलां, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 778 आराजी नंबर 2047/1357 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2050/1358 रकबा 0.0971 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भुमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि-भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ